अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–03.07.2018 को लघु सिंचाई प्रक्षेत्र की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–03.07.2018 को लघु सिंचाई प्रक्षेत्र की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुई।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा अपर मुख्य सचिव को अपना परिचय दिया गया। तदोपरांत प्रमंडलवार योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में निम्न वर्णित निर्देश दिए गए :–

1. चल रही सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पूर्ण किया जाय।

   (अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

2. निर्गत आवंटन का व्यय सुनिश्चित किया जाय। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो ससमय अधियाचना समर्पित की जाए।

   (अनुपालनः– सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई)

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता चल रहे कार्यो का सघन निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगें।

   (अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका / सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई)

4. मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को योजना के लागत राशि के अनुरूप निरीक्षण समयान्तराल को ध्यान में रखते हुए Inspection schedule बनाने एवं उसके आधार पर कार्य का निरीक्षण करने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका / सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई)

5. सभी चेकडैम योजनाओं का Booklet बनाने का निदेश दिया गया, जिसमें योजना से संबंधित सभी सूचनाओं के साथ–साथ लाभान्वित कृषकों की सूची उनके मोबाईल नं0 के साथ अंकित रहे।

   (अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

6. जिन संवेदकों द्वारा कार्य में कोताही बरती जा रही है, उनके एकरारनामा को नियमानुसार बंद कर उनको कालीकृत करने का प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

7. जिन योजनाओं में जनविरोध या भूमि विवाद हो रहा हो एवं उन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं हो तो उन योजनाओं को स्थगित करने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

8. जिन योजनाओं में वन भूमि तथा भू–अर्जन का मामला है, उन योजनाओं का नाम, Location एवं वनभूमि / भू–अर्जन के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

9. जिला स्तर पर प्रखंडवार / ग्रामवार जल संसाधन विभाग की समस्त अचल परिसम्पतियों का Asset register बनाने का निदेश दिया गया, जिसमें पूर्ण योजना से संबंधित योजना का नाम, सिंचन क्षमता, सिंचाई उपलब्धि अंकित हो।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

यह भी निदेशित किया गया कि सम्भावित योजनाओं का प्रखंडवार / ग्रामवार / योजनावार डाटा बैंक दिनांक 31 जुलाई 2018 तक तैयार कर लिया जाए, जिसके आधार पर भविष्य में योजनाएँ चयनित करने में सुविधा होगी।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

10. योजना की गुणवत्ता से संबंधित गुण नियंत्रण प्रमंडल को प्रतिवेदन की प्रति विभाग में भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– कार्य0 अभि0,लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची / दुमका)

11. सभी लघु सिंचाई प्रमंडलों को निर्मित योजनाओं के संबंध में एक Data Bank तैयार करने का निदेश दिया गया, जिसमें योजना की स्थिति, योजना सही ढंग से कार्य कर रही है, उसका सिंचाई हेतु सदुपयोग, इत्यादि सूचना अंकित होना चाहिए।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

12. लघु सिंचाई योजनाओं के क्षतिग्रस्त होने एवं Silt deposit के कारण अकार्यशील होने आदि की स्थिति में उनके ससमय मरम्मति एवं पुनर्स्थापन हेतु, प्रत्येक जलपथ प्रमण्डल स्तर पर संवेदकों का पैनल बनाया जा सकता है, जो Annual Rate Contract पर कार्य करेंगे।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

13. प्रत्येक लघु सिंचाई योजना की लाभुक समिति को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि योजना के संचालन से पर्याप्त Fund Generate हो सके, जिससे योजना का रख–रखाव (Major & Minor repairs) के साथ–साथ आवश्यकतानुसार नए मोटर एवं पम्प का भी क्रय किया जा सके।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

प्रत्येक लाभुक समिति के Observer के रूप में एक कनीय अभियंता को नामित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

14. झालको को वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटित राशि कोषागार की गलती के कारण Lapse हो गई है। उन योजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवंटन निर्गत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता (मो०))

15. झालको के स्थापना एवं कार्यों के संबंध में एक नोट उपलब्ध कराने का निदेश प्रबंध निदेशक, झालको राँची को दिया गया।

(अनुपालनः– प्रबंध निदेशक, झालको)

16. निदेशक, भू–गर्भ जल निदेशालय द्वारा बताया गया कि उनके प्रमंडलों में Geologist के स्थान पर असैनिक अभियंता पदस्थापित है। उनके द्वारा Geologist की नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया।

इस संबंध में Geologist की नियुक्ति तक सहायक अभियंता के Geologist का प्रशिक्षण देने हेतु प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची)

12.7.18

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग,राँची।

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/बैठक/60/2013 293 /राँची, दिनांक– 16/7/18
प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका/सभी अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल/प्रबंध निदेशक, झालको, राँची/निदेशक, भू–गर्भ जल निदेशालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/7
अभियंता प्रमुख–II
जल संसाधन विभाग,राँची।

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/बैठक/60/2013 293 /राँची, दिनांक– 16/7/18
प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/7
अभियंता प्रमुख–II
जल संसाधन विभाग,राँची।

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/बैठक/60/2013 293 /राँची, दिनांक– 16/7/18
प्रतिलिपिः–वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/7
अभियंता प्रमुख–II
जल संसाधन विभाग,राँची।